Sd/-

05/07/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य मु० न० 205/2013 कृष्णा कुमार बनाम सीता देवी तथा मु० न० 230/2013 सुरेन्द्र बनाम कृष्णा में दिनांक 08/5/2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें नामांतरण संख्या 406 दर्ज किया गया। Sd/-

उपर्युक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2015 के खिलाफ प्रार्थीगण ने माननीय RAA सीकर के यहाँ अपील संख्या 16/2020 एवं 17/2020 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 14/10/2022 को न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 08/05/2015 को निरस्त कर दिया। Sd/-

चूंकि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 05/8/2015 के आधार पर नामांतरण सं० 406 दर्ज कर दिया गया एव निर्णय की पालना कर दी गई है लेकिन अब निर्णय व डिक्री निरस्त हो चुके है तो अब अन्त राजस्व रिकॉर्ड की नामसंख्या सं. 406 से पूर्व की स्थिति में किये जाने योग्य है। इसी बाबत CPC 144 का प्रार्थना Sd/-

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 11:01:31 IST
Reason: SelfAttested

482/2022

(CPC144)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हु |
|---|---|---|
| | मनोज / सुरेंद्र | |
| | प्रस्तुत निवेदन है कि उभयपक्षानकारान वकील उपस्थित R.Ad से तामिल की पेश है वकील अप्रार्थी श्री राजेश जी ने भी कोई ऐतराज पेश नहीं किया। श्रीमान न्यायालय RAA सीकर का निर्णय की प्रति संलग्न है निर्णय का मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र CPC144 स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 05/08/2015 से पूर्व की स्थिति अर्थात नामांतरण सं. 406 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए जाते हैं फैसला सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो<br>हस्ता.<br>उपखण्ड अधिकारी [illegible]<br>जिला झुंझुनूं (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 11:01:31 IST
Reason: SelfAttested